borrowers. Therefore, it was considered necessary that the financial institutions should have a speedier recourse to recovery and that is why this power is being vested in the recovery officer. Now, as far as the Tribunal is concerned, we have provided for the appeal to the Tribunal, as I mentioned in my intervention earlier, and obviously from the Tribunal it will go to the High Court. So, the judicial process is quite in order and the right of the citizen to approach the judiciary for redressal is fully ensured. He is not being deprived of that right. As far as appointment of the Tribunal is concerned, if they are members of the judiciary, quite clearly, we will be approaching the High Court for recommendations in this regard as is the practice in Government of India. We will be going by the recommendations being made by them. If somebody is from outside the judicial system, if he is a practising advocate or a member of the legal service, then the Government may exercise its wisdom. Therefore, there is no intention on the part of the Government to overlook the recommendations of the judiciary in this regard. Sir, the point which I would like to make is that it is true that we are vesting powers with the recovery officers and with the Tribunal. This is being done consciously in order to establish a balance between the lender and the borrower, and to ensure that the lender is also not put to any great hardship in the recovery of his loans. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TN. CHATURVEDI): The question is :

That the Bill be passed.

The motion was adopted

THE MAJOR PORT TRUSTS (AMENDMENT) BILL, 1998

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : महोदय , मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

महोदय, हमारे देश में 12 मेजर पोट्र्स हैं । इन 12 मेजर पोट्र्स में से 11मेजर पोट्र्स का, मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 के तहत मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल होता है । इसके अतिरिक्त 143 माइनर पोट्र्स भी हमारे देश में है, लेकिन ये स्टेट गर्वनमेंट की

ज्यूडिरिडक्शन में आती है । वैसे तो भारत का 90 परसेंट सी ट्रेड मेजर पोर्ट्स के थ्रू ही होता है, केवल 10 परसेंट सी ट्रेड माइनर पोर्ट्स के माध्यम से होता है । विगत कई वर्षों से हम यह देख रहें हैं कि पोर्ट्स का ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है । 1999-2000 में 240 मिलियन टन की कैपेसिटी हमारी पोर्ट्स की थी । 240 मिलियन टन की कैपेसिटी होने के बावजूद हमारी सारी मेजन पोर्ट्स ने 2713 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग करने काम किया था । जेटीज़ हमारी ऑकूपाइड रहती है, बर्थे खाली नहीं मिल पाती है, आवश्यकता यह महसूस की जा रही है कि इन सारे मेजर पोर्ट्स की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। एक वर्किंग ग्रुप बना था और उसने यह सुझाव दिया था कि नाइंथ फाइव ईयर प्लान के अंत तक मेजर पोर्ट्स की कार्गों हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ा करके 4245 मिलियन टन कर दिया जाए । वैसे तो एटथ फाइव ईयर प्लान तक हमारी पोर्ट्स की कार्गों हैंडलिंग कैपेसिटी 215 मिलियन टन थी, लेकिन नाइंथ फाइव ईयर प्लान के अंत तक 424 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए स्वाभाविक रूप से ज्यादा पूंजी निवेश की आवश्कता होगी । क्योंकि हम यह भी देख रहें हैं कि कार्गों हैंडलिंग की ग्रोथ पर एनम 9 परसेंट है । वैसे तो एक योजना यह भी बनी थी कि 2012 तक कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी सारी पोर्ट्स की बढ़ा कर 850 मिलियन टन कर दी जाए । यदि हम 850मिलियन टन तक बढ़ाना चाहतें हैं तो इसके लिए 300 से लेकर 400 तक एडीशनल बर्थ्ज और जेटीज़ को यदि हम मेजर पोर्ट्स पर बनाते हैं तो उसके लिए 40,000 करोड़ रूपये से अधिक के इन्वेस्टमेंट की आवश्कयता होगी । वैसे तो हम लोगों ने जो अनुमान किया है उसके अनुसार 12,00 करोड़ रूपये की व्यवस्था तो प्लान फंड से और जो हमारी मेजर पोर्ट्स हैं उनके इंटर्नल रिसोर्सेज से हो सकती है । लेकिन शेष पुंजी की व्यवस्था यह तो प्राइवेट सैक्टर के पार्टिसिपेशन से हो सकता है अथवा कैपिटल मॉर्केट से भी यह व्यवस्था हो सकती है । इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा चारा नहीं है । वैसे प्राइवेट सैक्टर पार्टिसिपेशन इन मेजर पोर्ट्स मे बढ़ाने के लिए कुछ गाइडलाइन्ज़ हमारी मिनिस्ट्री ने 1996 में जारी की थी और उसी के परिणामस्वरूप हम 13 प्राइवेट सैक्टर प्राजैक्ट्स को एप्रूव करने में सफल हुए । इसके अतिरिक्त आगे भी कुछ प्राइवेट सैक्टर प्राजैक्ट को एप्रूव करने वाले हैं । अब यह जो अमेंडमेंट बिल लेकर हम राज्य सभा में आए है, सचमुच इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से हम चाहतें हैं कि हमारी जितनी भी मेजर पोर्ट्स हैं उनका इंटीग्रेटेड डवेलपमेंट हो सके । जैसा मैनें पहले कहा था कि प्राइवेट सैक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए कुछ गाइडलांइज हमारी मिनिस्ट्री ने पहले जारी की थी तथा इस अमेंडमेंट बिल में उन्हीं गाइडलाइन्ज को मोडीफाइ करके बोर्ड आफॅ ट्रस्टीज़ को ओनर आफॅ फॉरेन पोर्ट्स, माइनर पोर्ट्स और किसी कंपनी के साथ ज्वायंट वेंचर बनाने की हम परमिशन दे रहे हैं । ज्वांयट वेंचर बनने के कारण हमारी मेजर पोर्ट्स की शक्ति तो बढ़ेगी ही लेकिन हमारी यह मंशा भी है

कि जो हमारी 143 माइनर पोर्ट्स हैं इनकी शक्ति भी बढ़े । इसी दृष्टि से ज्वायंट वेंचर बनाने की भी व्यवस्था कर रहें हैं । इसलिए हम यहां यह संशोधन ले कर आए हैं ।

महोदय, मेजर पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आवश्यकत है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैं उनका आत्म-विश्वास बढ़े और साथ ही जिन बैंकों से वे पैसा लेते हैं, जिन बैंको से वे धन लेते हैं उन बैंकों को भी यह भरोसा होना चाहिए कि इन प्राइवेट इन्वेस्टर्ज़ के माध्यम से जो मेजर पोर्ट्स के ज्वायंट वेचंर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है..... । निश्चित रूप से उस का सदुपयोग होगा । वह कैपिटल किसी भी सूरत डूबने नहीं पाएगा, यह बैंक को भी विश्वास होना चाहिए । इसीलिए जॉइंट वेंचर की व्यवस्था करने के लिए हम इस मेजर पोर्ट्स ट्रट्स एक्ट 63 में हम केवल छोटे-छोटे चार संशोधन कर रहें हैं । महोदय, ये चार संशोधन करने के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि हम एक तो नई टैक्नॉलोजी अपने पोर्ट पर आकर्षित करें, दूसरा उद्देश्य यह है कि हम पोर्ट की मैनेजेरियल एक्सपर्टाइज को बढा सकें, तीसरा उद्देश्य यह कहै कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन शीघ्रताशीघ्र हो सके और चौथा उद्देश्य यह है कि अधिकतम पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए माइनर पोर्ट्स के साथ हम भीगीदारी कर सके ।

प्रमुख रूप से इन चार उद्देश्यों को सामने रखकर हम ने इस अमेंडमेंट बिल को इस सदन में विचरार्थ प्रस्तुत किया है । ये जो चार छोटे-छोटे संशोधन हम मेजर पोर्ट ट्रसट्स एक्ट, 63 में कर रहें हैं,उस में एक तो पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 63 सेक्शन 42 के सब सेक्शन-1 में क्लॉज एफ जोड़कर हम यह व्यवस्था कर रहें हैं कि रोड, रेलवेज एंव अन्य दूसरी नागरिक सुविधाएं पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की परिधि में लाई जांए । हम इसलिए इन्हें सेवाओं की परिधि में लाना चाहतें है ताकि जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं, उन का हम इंटीग्रल डवलपमेंट कर सके । महोदय, एक दूसरा अमेंडमेंट उसी सेक्शन 42 में सब सेक्शन 39 जोड़कर यह करना चाहतें हैं कि मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स बोर्ड को हम यह अधिकार देना चाहतें हैं कि वह किसी भी कार्पोरेट बॉडीज़ जो कि फॉरेन पोर्ट हो सकता है, वह माइनर पोर्ट्स हो सकते हैं अथवा कोई व्यक्ति हो सकता है और किसी के साथ यदि वह जॉइंट वेंचर बनाना चाहते हैं तो बना सकातें हैं । इसलिए हम सेक्शन 42 में सब-सेक्शन 39 जोड़ना चाहतें हैं और जॉइंट वेंचर जोड़कर हम चाहते हैं कि पोर्ट के परफॉर्मेन्स को और अधिक सुधारा जा सके, उन के कार्य और उन की सर्विसेज में भी सुधार लाया जा सके । इस के अतिरिक्त हम मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट के सेक्शन 588 सब सेक्शन 2 में क्लॉज डी और क्लॉज ई जोड़ना चाहतें हैं । क्लॉज डी और क्लॉज ई जोड़कर हम पोर्ट ट्रस्टस के बोर्ड को जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अधिकार दे रहें हैं ।

मुख्य रूप से हम ये चार संशोधन पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 63 में करना चाहतें हैं और इसीलिए यह मेजर पोर्ट ट्रस्टस अमेंडमेंट बिल लेकर हम राज्य सभा में प्रस्तुत हुए हैं । श्रीमन् इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 196.3 का और इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

THE VIE CHAIRMAN (SHRI T.N CHATURVEDI): I find ther is one amendment by Shri Suresh Pachouri But he is not Pranab Mukherjee Not present Shri Brahamkumar Bhatt Not present Shri Anantray Devshanker Dave.

श्री अन्नतराय देवशंकर दवे (गुजरात): उपसभाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी जो मेजर पार्टी ट्रस्ट्स एक्ट का बिल संशोधन के लिए लाए है, यह बहुत छोटे-छोटे अमेंडमेंट्स हैं । इस बिल का सपोर्ट करते हैं और मंत्रीजी को इन अमेंडमेंट्स को लाने के लिए धन्यवाद देते हैं।

महोदय, मुझे दो छोटी-छोटी बातें कहनी हैं । एक तो हमारे यहां प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और प्राइवेट पार्टीज यहां आएंगी । आप ने कहा कि हमें भविष्य में 300-400 बर्थ्स चाहिए होंगे, लेकिन पैसेजर्स सर्विसेस दिन-प्रति दिन इस देश में कम होती जा रही है । इसलिए हमें उन के लिए कुछ प्रावधान करना चाहिए । मैं ने पढ़ा है कि कई बंदरगाहों पर ऐसे प्रावधान नहीं हैं । अब जब देश में नए-नए बंदरगाह आ रहें हैं, जैसे विभावा है, कुछ कच्छ में गदानी है, ऐसे पोर्ट्स आ रहें हैं, लेकिन वहां पर ऐसी सुविधाएं बनांए जिसकी वजह से आज रास्तों पर इतनी भीड़ हो गई, इतना ट्रैफिक बढ़ गया है । पहले के दिनों में, 1965 में हमारे कच्छ से कराची, मांडवी और मुम्बई पैसेजंर सर्विस चलती थी, अब 1965 की वह सेवा बंद हो गई है और वहां से छोटी फैरी सर्विस चल रही है, लेकिन जहां पर छोटे पोर्ट है वहां से यह सुविधा नहीं है। इन्होनें जो यह अमेंडमेंट किया है, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए और छोटे पोर्ट्स के लिए, इन्होनें यह बहुत अच्छा प्रावधान किया है और मैं मानता हूं कि छोटे-छोटे पोर्ट्स में जो अभी इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वह दूर हो जाएगी और मंत्री महोदय, उसने पर्सनल इंटरनेट लेकर, प्राइवेटाइजेशन के लिए जो कुछ नई पार्टियां आएंगी, उनको भी सुझाव देंगे ।

दूसरे, इन्होनें छोटे पोर्ट्स के लिए पैसा खर्च करने का जो छोटा सा प्रावधान किया है, अमेंडमेंट किया है, उसमें भी मैं चाहता हूं कि जो भी कोई कंपनी आए, उसके साथ पहले उन्हें यह तय कर लेना चाहिए कि वे इतना खर्च वहां करेंगे, किस तरीके से उसे चलांएगे ।

तीसरे कांडला पोर्ट के पास गुजरात सरकार की बहुत बड़ी जमीन पड़ी है और वे लोग उसको यूज़ नहीं कर रहें हैं, यूज़ करें तो हमें ऐतराज़ नहीं है । गुजरात सरकार उसको

वापिस मांग रही है । उस पर भी कोई कमेटी बैठाकर कुछ किया जाना चाहिए । उसके बारे में वहां पर कुछ हो रहा है और तीन-चार सैक्रेटरीज़ बैठाकर कुछ तय कर रहें हैं, ऐसा कुछ चल रहा है । मेरा कहना है कि यदि ऐसा लगे कि वह ज़मीन जरूरी नहीं है तो उसे गुजरात सरकार को वापिस दे देना चाहिए ।

एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नेशनल शिपिंग बोर्ड, पूरी तरह से अभी काम नहीं कर रहा है । नेशनल शिपिंग बोर्ड अच्छी तरह से काम करें, इसके लिए उनको कुछ अधिकार और दिए जाएं ।

अंतिम बात मैं एम.एम.डी. – मर्चेंट मैरीन डिपार्टमेंट जो मुम्बई में हैं, उसके बारे में कहना चाहता हूं । यह आपके डिपार्टमेंट के नीचे अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन उनका प्रोसिज़र बहुत लम्बा है । कई लोग इस धंधे में आना चाहते हैं लेकिन वह इस प्रोसिज़र के कारण नहीं आ पाते । इसलिए उसके बारे में भी अध्ययन किया जाए और कोई कमेटी गठित की जाए और इन दोनों पर, 1963 के एक्ट पर और एम.एम.डी. पर कोई एक कमेटी गठित करके एक अच्छा कम्प्रिहेंसिव बिल इस सदन में लाया जाए, ऐसा मेरा अनुरोध हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): Shri Jibon Roy—not present. Shri J. Chitharanjan—not present.

There is no other Member who wants to speak. The amendment is also not moved. Mr. Minister, you may like to respond to some of the suggestions that Mr. Anantray Devshanker Dave has made.

SHRI RAJNATH SINGH: Sir, there is one amendment from the Government side and I want to move that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): You can do that /when the clause by clause consideration of the Bill is taken up. You can respond to some of the suggestions made by Daveji.

श्री राजनाथ सिंह : महोदय, मानीनय सदस्य श्री दवे जी ने जिस बिंदु की ओर ध्यान आकर्षित किया है, मैं उन्हें स्पष्ट कहना चाहूंगा कि मेजर पार्टी ट्रस्ट एक्ट में जो संशोधन करना चाहतें हैं, वह इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम इन सारे मेजर पोर्ट्स की कारगो हैंडलिंग को बढ़ा सके यानी उनकी क्षमता को बढा सके । इसी उद्देश्य से हम एक्ट में संशोधन करना चाहते हैं और मैं उन्हे आश्वस्त करना चाहता हूं कि नौंवी पंचवर्षीय योजना समाप्त होते-होते हम अपने पोर्ट्स की क्षमता इतनी बढा देंगे कि जहां पर आज हम 271बिलियन टन कारगो हैंडल कर रहें हैं, नौंवी पंचवर्षीय योजना समाप्त होते-होते कम से कम

350 बिलियन टन से अधिक हम कारगो हैंडल कर सकेंगे इतनी क्षमता हम बढा देंगे और इसी क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक था कि यह अमेंडमेंट बिल इस सदन के द्वारा पारित हो । इसलिए मैं इस सदन से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस बिल को वह पारित करने का कष्ट करें ।

उपसभाध्यक्ष (श्री टी.एन.चुतेर्वेदी): दवे जी ने यह कहा है कि नेशनल शिपिंग बोर्ड को जरा आप दुरूस्त करें । एम.एम.डी. के प्रोसिज़र बहुत डिले करते हैं, उनको जरा आप देंखें, वे काम अच्छा कर रहें हैं और तीसरी बात उन्होनें कही है कि कुछ जमीन जो गुजरात सरकार ने मांगी है आपसे, अगर आपको जरूरत नहीं है तो उसको जरा देख लें और सैक्रेटरीज़ की एक कमेटी भी देख रही है, तथा उन्होनें पैसेंजर सर्विस के बारे में कहा है । इन मामलों को जरा आप देख लें, वे आश्वासन चाहतें हैं ।

श्री राजनाथ सिंह : मैं देख लूंगा और मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं कि जिस माईनर पोर्ट की वह बात कर रहें हैं, उस माईनर पोर्ट के बारे में गुजरात के मुख्यमंत्री से हमारी बात हो चुकी है और वे ज्वाइट वेंचर बनाने पर राजी हो गए है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): I shall now put the motion moved by Shri Rajnath Singh to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Major Port Trusts Act, 1963, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TN. CHATURVEDI): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. Clause 2, there is one amendment, but since the Members are not here, it is not moved.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause I (Short title and commencement)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): We shall now take up Clause 1. There is one amendment, No. 2, by the Minister, Shri Rajnath Singh

श्री राजनाथ सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:-

"पृष्ठ 1 पंक्ति 1 में शब्द "उनचासवे" के स्थान पर शब्द

"इक्यावनवे" प्रतिस्थापित किया जाए" ।

The question was put and the motion was adopted
Clause 1, as amended, was added to the Bill.
Enacting Formula

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI) : We will now take up the Enacting Formula. There is one amendment, No. 1, by Shri Rajnath Singh.

श्री राजनाथा सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

"पृष्ठ 1 पंक्ति 2 में अंक "1998" के स्थान पर शब्द "2000" प्रतिस्थापित किया जाए" ।

The *question was put and the motion was adopted.*
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.
The Title was added to the Bill.

श्री राजनाथ सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:-

"संशोधित विधेयक पारित किया जाए"।

The *question was put and the motion was adopted.*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): उपसभाध्यक्ष जी, सदन को पता है कि वैसे आज हमारे सदन में रक्षा मंत्रालय पर चर्चा होनी थी । लेकिन चूंकि सरकार को कुछ विधेयक तुरन्त पास करना आवश्यक था इसलिए सभापति महोदय से और विपक्ष से बातचीत करके हमने आज की काग्रसूची में रक्षा मंत्रालय की चर्चा हटाकर चार विधेयक रखे थे । खास करके उसमें जो पहले दो विधेयक हैं उनकी पारित करने मे विपक्ष से बातचीत हुई थी । आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की चर्चा बड़ी लम्बी चली । इस चर्चा के बीच भी मैनें विपक्ष से व्यक्तिगत रूप से बात करके यह कहा था कि चर्चा के बाद भले ही हमें देर से बैठना पड़े लेकिन हम ये विधेयक पारित कर दें । सभापति महोदय, जब आसन पर बैठे थे तो उन्होनें भी यही कहा था कि इस कामकाज को आज पूरा करना है और उसके अनुसार हमने पहले दो विधेयक पारित किए हैं । हालांकि हम चाहतें हैं थे कि अगर विपक्ष के सदस्य भी इस समय उपस्थित होते तो ज्यादा अच्छा रहता । सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि विपक्ष के सदस्य न हों तब ये पारित करें । मैंने जैसा कहा हमारी यह मजबूरी थी

कि इनको पारित करना अत्यावश्यक था । जो मजबूरी हमने सभापति महोदय और विपक्ष को बताई थी उनकी ही सहमति से आज का कामकाज बदला था । चूंकि विपक्ष के सदस्य बाहर चले गए है तथा गैर लाभ उठाकर हम यह नहीं करना चाहतें थे । ये दोनों विधेयक पारित करना आवश्यक था इसलिए ऐसा किया था । लेकिन अगले जो दो विधेयक हैं उनके संबंध में विपक्ष से हमारी कोई पूर्व बातचीत नहीं हुई थी । इसलिए क्योंकि उनसे पूर्व बातचीत नहीं हुई है और वे हैं भी नहीं, अगर वे उपस्थित होते तो मैं उनसे आग्रह करता कि इनको भी वे पारित करें । चूंकि वे अब उपस्थित नहीं है इसलिए मैं सरकार की और से यह प्रस्ताव करता हूं कि अगले जो दो विधेयक हैं वह योग्य रूप में जब आगे कल-परसों वे आएंगे तब पारित करें और इसलिए सदन की कार्रवाई आज के लिए स्थगित करें तो ठीक होगा, यह मेरी प्रार्थना हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): I think the House agrees with the submission made by the Minister of Parliamentary Affairs.

The House stands adjourned till 11 o'clock tomorrow.

The House then adjourned at twenty-seven minutes past six of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 11th May, 2000